

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल: jacct.dta@rajasthan.gov.in

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)पदस्थापन/अलेसे-III/ 5439

जयपुर दिनांक :- 27/05/2020

आदेश संख्या: 55/2020-21

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकारों का स्थानान्तरण/ पदस्थापन कॉलम संख्या 5 में अंकित कार्यालय में प्रशासनिक आधार पर राज्य हित में तुरन्त प्रभाव से किया जाता है :-

क. सं.	लिंक नम्बर	नाम (सर्वश्री)	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय का नाम	नव पदस्थापन कार्यालय का नाम	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	11664	जितेन्द्र सैनी, कनिष्ठ लेखाकार	मुख्य रसायनज्ञ, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर	कोषाधिकारी, जयपुर (ग्रामीण)	रिक्त पद पर
2.	11606	विनोद कुमार शर्मा, कनिष्ठ लेखाकार	मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर	कोषाधिकारी, जयपुर (ग्रामीण)	रिक्त पद पर
3.	33354	हुकम सिंह, कनिष्ठ लेखाकार	महानिदेशक, होमगार्ड, जयपुर	कोषाधिकारी, जयपुर (ग्रामीण)	रिक्त पद पर
4.	11876	प्रिंसी जायसवाल, कनिष्ठ लेखाकार	हरीश चंद माथुर, लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर	कोषाधिकारी, जयपुर (ग्रामीण)	रिक्त पद पर
5.	11537	सुरेश कुमार जांगिड, कनिष्ठ लेखाकार	मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर	कोषाधिकारी, जयपुर (ग्रामीण)	रिक्त पद पर

उक्त आदेश वित्त विभाग की सहमति दिनांक 27.05.2020 के कम में जारी किये जाते हैं।

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)पदस्थापन/अलेसे-III/ 5439

जयपुर दिनांक :- 27/05/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
- विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष..... को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कार्मिक को अविलम्ब कार्यमुक्त कर नवपदस्थापन कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।
- संबंधित कोषाधिकारी
- श्री..... कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय..... को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे अपने वर्तमान पदस्थापन कार्यालय से कार्यमुक्त होकर कार्यग्रहण काल का उपयोग किये बिना तत्काल नवपदस्थापन कार्यालय में आवश्यक रूप से कार्यग्रहण कर सूचना फ़ैक्स अथवा विभागीय ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in पर इस विभाग को भिजवाये।
- अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I/II) कार्यालय हाजा।
- निजी सचिव, निदेशक।
- उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट/पीआईएस (कॉईन्स) पर अपलोड करने हेतु।
- रक्षित/निजी पत्रावली।

(शिल्पी कौशिक)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)